अंचल अधिकारी का कार्यालय बाघमारा (धनबाद)

विविध वाद सं0 02/2020-21

मोहन महतो

सा0– पिपराटांड़, पो0–मधुबन,थाना–मधुबन,जिला–धनबाद

बनाम

हरखलाल महतो, पिता–स्व0 नारायण महतो

दुखन महतो, पिता–स्व0 बिरु महतो

सा0– पिपराटांड़, पो0–मधुबन, थाना–मधुबन,जिला–धनबाद

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
27/7/2020	आवेदक मोहन महतो, पिता–स्व0 सुचान्द महतो, सा0– पिपराटांड़, पंचायत–बांसजोड़ा का पंचायत समिति सदस्य द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा–पिपराटांड़/316, नया खाता सं0–254, नया प्लॉट सं0–1558 एवं रकवा–01.06ए0 पर सरकारी जमीन चाहरदीवारी का काम चल रहा है। निर्देश दिया जाता है कि संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक को सम्पूर्ण जॉच के लिए मूल आवेदन पत्र दें।। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि पूर्ण जॉच कर जॉच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अंचल निरीक्षक के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त भूमि पर निर्माण कार्य को अगले आदेश तक रोक लगाने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 31/7/2020 को उपस्थापित करें। ह0/27/07/20 अंचल अधिकारी बाघमारा	
31/7/2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मोहन महतो, पिता– स्व0 सुचान्द महतो, सा0– पिपराटांड़, पंचायत–बांसजोड़ा का पंचायत समिति सदस्य बांसजोड़ा पंचायत द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में हाल खाता सं0–254, हाल प्लॉट सं0–1558 एवं 1568, कुल रकवा–1.06ए0 गैर आबाद सरकारी भूमि पर कार्य नही हो रहा है। हरखलाल महतो ई0, के द्वारा हाल प्लॉट सं0–1529, 1530 एवं 1531 में रोड़ तरफ पत्थर से बॉउण्ड्री कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मौजा–पिपराटांड़/316, हाल प्लॉट सं0– 1529, 1530 एवं 1531, हाल खाता सं0–75 की भूमि है। जिसके हाल खतियानी रैयत जावेद आलम, मासूम आलम, वो तनवीर आलम ई0 है। हरखलाल महतो एवं अन्य द्वारा विभिन्न निबंधित दस्तोवजों से हाल खतियानी रैयत जावेद आलम ई0 से भूमि क्रय किया गया है। तदनुसार दाखिल–खारिज केस सं0– 165(IX)2012-13, जमाबंदी सं0–492, दाखिल–खारिज केस सं0– 111(IX)2012-13, जमाबंदी सं0–503, दाखिल–खारिज केस सं0– 1020(IX)2014-15, जमाबंदी सं0–530, दाखिल–खारिज केस सं0– 131(IX)2016-17, जमाबंदी सं0–539, दाखिल–खारिज केस सं0– 1548(IX)2016-17, में जमाबंदी कायम है। हाल क्रय रैयतों की भी ऑनलाईन पंजी–II भाग सं0–03, पृष्ठ सं0–10 दाखिल–ख़ारिज केस सं0–1909(IX)2018-19 में नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि रैयत खाते की है, जो हरखलाल महतो एवं अन्य के द्वारा द्वारा क्रय किया गया है। तथा आवेदक मोहन महतो के द्वारा किया गया शिकायत गलत प्रतीत होता है। अतः रैयत भूमि पर रोक लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में जा सकते है। थाना प्रभारी विधि–व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करेगें तथा प्रतिवेदन इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराएगे। ह0/31/07/20 अंचल अधिकारी बाघमारा	